संख्या –2/2024 /।/485853 /38-2001(099)/2/2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 फरवरी, 2024

विषय- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य0 विकास संस्था न, बक्शीय का तालाब, लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्था नों के लिए वित्तीकय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तोर्गत मानक मद-14-मोटर गाडियों के क्रय में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-843/वा0-9/वाहन क्रय/2015-16, दिनांक 28 दिसम्बकर, 2023 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश है कि वित्तींय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-07 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ के अन्तर्गत मानक मद-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 18.00 लाख के सापेक्ष प्रतिस्थापन के आधार पर महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य् विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के उपयोगार्थ प्रति वाहन रू0 8,73,973/- की दर से 02 शासकीय वाहन Mahindra Bolero B4 BS6

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) के माध्यम से क्रय हेतु कुल धनराशि रू0 17,47,946/- (रू0 सत्रह लाख सैंतालिस हजार नौ सौ छियालीस मात्र) स्वीकृत किये जाने की निम्नमलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) क्रय किये जाने वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवाहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्त र्गत किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूानतम दरों के अन्तूर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नही हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उल्लिखित निष्प्रयोज्य वाहन के सापेक्ष पूर्व में प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय नहीं किया गया है। अर्थात् क्रय की कार्यवाही की द्विवरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

(5) प्रश्नागत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्र0वि0 द्वारा मित्तव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितांक आवश्यकता / अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन आधार पर वाहन का क्रय किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता , विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त् उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(8) इस संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या.-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 4515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103 ग्राम्य विकास-07 दीनदयाल उपाध्यांय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ के अन्तर्गत मानक मद-14 मोटर गाडियों का क्रय के सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा अशासकीय पत्र संख्या– E-2-244-X-2023-24, दिनांक 19-01-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्यात-2/2024 /।/485853 /38-2001(099)/2/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र कुमार पाठक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।